

# डिगरी व मुकदमे इब्तादाई

(ओ. 20 ए. 6-7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम बाडी जिला धौलपुर (राज0)  
व इजलास श्री जी0एल0 मीना (R.A.S.)

1. रामबाबू पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 54 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कंचनपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर

## बनाम

1. सोबरनसिंह पुत्र रामनाथ सोलंकी आयु 45 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पवेसुरा तह0 बाडी जिला धौलपुर
2. परषोत्तम उम्र करीब 48 वर्ष } पुत्रगण विन्दावन जातिगण ब्राह्मण निवासीगण
3. श्रीचन्द उम्र करीब 48 वर्ष } ग्राम कंचनपुर तह0 बाडी जिला धौलपुर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी
5. प्रबन्धक बी0आर0के0जी0बी0 शाखा कंचनपुर

## दावा दावत

मुकदमा नं. 41/2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वयं  
व हाजरी श्री रवि पचौरी, सत्यप्रकाश कौशिक एड0 मिनजानिव मुद्दई श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर,  
दिलीप कुमार शर्मा एड0  
मिनजानिव मुख्यलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादी व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम कंचनपुर तह0 बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

1. सोबरनसिंह पुत्र रामनाथ सोलंकी जाति ठाकुर निवासी पवेसुरा

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1209/1	0-16	बा0दोयम	1.20
1210/1	0-03	बा0दोयम	0.22
कुल किता 2 कुल रकवा 0-19			1.42

2. रामबाबू पुत्र छोटेलाल जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1210/2	0-19	बा0दोयम	1.43
कुल किता 1 कुल रकवा 0-19			1.43

3. परषोत्तम, श्रीचंद पि0 विन्दावन जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1210/3	0-19	बा0दोयम	1.43
कुल किता 1 कुल रकवा 0-19			1.43

4. सोबरनसिंह पुत्र रामनाथ सोलंकी जाति ठाकुर निवासी पवेसुरा हि0 1/3, परषोत्तम, श्रीचंद पि0 विन्द्रावन हि0 1/3, रामबाबू पुत्र छोटेलाल हि0 1/3 जाति ब्राह्मण निवासी कंचनपुर

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
1209/2	0-01	बा0दोयम	0.07
1210/4	0-01	बा0दोयम	0.07
कुल किता 2 कुल रकवा 0-02			0.14

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टिकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे।

नीज ..... मुबलिंग..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक ..... को अदा करें।  
वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 01 माह 05 साल 2018 को जारी की गई।

दस्तखत .....  
ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी  
बाडी (धौलपुर) राज0

मुहर

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील ) रू0		
महनताना वकील ) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिंक		
मुतफरिंक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

1

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला - धौलपुर

पीठासीन अधिकारी - श्री जी०एल० मीना (आर०ए०एस०)

रामबाबू

उनवान  
बनाम

सोबरन

1. रामबाबू पुत्र छोटेलाल उम्र करीब 54 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम कंचनपुर तह० बाडी जिला धौलपुर

वादी :-

बनाम

1. सोबरनसिंह पुत्र रामनाथ सोलंकी आयु 45 साल जाति ठाकुर निवासी ग्राम पवेसुरा तह० बाडी जिला धौलपुर  
2. परषोत्तम उम्र करीब 48 वर्ष } पुत्रगण विन्दावन जातिगण ब्राह्मण निवासीगण  
3. श्रीचन्द उम्र करीब 48 वर्ष } ग्राम कंचनपुर तह० बाडी जिला धौलपुर

प्रतिवादीगण :-

4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाडी  
5. प्रबन्धक बी०आर०के०जी०बी० शाखा कंचनपुर

तरतीवी प्रतिवादीगण :-

उपस्थित वादी के वकील - श्री रवि पचौरी, सत्यप्रकाश कौशिक एड०

प्रति० के वकील - श्री अशोक शर्मा, रामवकील गुर्जर, दिलीप कुमार शर्मा एड०

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा०का० अधि०

दावा सं. 41/2017

दिनांक :- 01.05.2018

निर्णय

दावा वादी दिनांक 24.01.2018 को प्राथमिक डिकी किया जाकर प्रश्नगत आराजी ख०नं० 1209/0-17, 1210/2-02 बांके ग्राम कंचनपुर तह० बाडी का मुताबिक वर्तमान कब्जे के अनुसार रास्ते का प्रावधान रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाडी को प्राथमिक डिकी की प्रति भेजी गई। तहसीलदार बाडी ने कुर्रैजात प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किये।

पत्रावली लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कंचनपुर में रखी गई। जहां दोनों पक्ष उपस्थित आये। मजमे आम में दोनों पक्षों की समझाईश की गई। समझाईश के पश्चात दोनों पक्षों को सुना गया। दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात प्रश्नगत आराजी पर मौका सर्वे कमिश्नर नियुक्त किये गये तहसीलदार बाडी को मौका निरीक्षण हेतु भेजा गया। तहसीलदार बाडी द्वारा मौके की जांच कर अवगत कराया कि कुर्रैजात में अंकित हिस्सेनुसार पक्षकारान काबिज है। हमने पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रैजात का अवलोकन किया गया। मेरी राय में वादी का वाद अन्तिम डिकी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

  
उपखण्डाधिकारी  
धौलपुर

अतः दावा वादी तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादी व प्रति० के नाम तदनुरूप रिकार्ड बंटवारे ग्राम कंचनपुर तह० बाडी में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
1209/1	0-16	बा०दोयम	1.20
1210/1	0-03	बा०दोयम	0.22
कुल किता 2 कुल रकवा 0-19			1.42

खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
1210/2	0-19	बा०दोयम	1.43
कुल किता 1 कुल रकवा 0-19			1.43

खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
1210/3	0-19	बा०दोयम	1.43
कुल किता 1 कुल रकवा 0-19			1.43

खसरा नं०	रकवा	किस्म	लगान
1209/2	0-01	बा०दोयम	0.07
1210/4	0-01	बा०दोयम	0.07
कुल किता 2 कुल रकवा 0-02			0.14

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिकी का जुज रहेगा मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। निर्णय अनुसार अन्तिम डिकी जारी हो। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प कंचनपुर में लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखाते अधिकारी  
बाडी (कंचनपुर) तह०